राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
''ए'' ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
दूरभाष–0141–2740239, फेक्स–0141–2742309, ई मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.4(ई)(एस–277)/2023/अलेसे–III/6529 दिनांक :– 22/08/2025

आदेश संख्या :–379/2025–26

कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित **श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नंद लाल**, (रोल नं. 736090) को विभागीय नियुक्ति आदेश संख्या 239/2024–25 दिनांक 11.01.2025 में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कोषालय, झुन्झुनूं में नियुक्त किया गया था, जिसमें बिन्दु संख्या 02 पर उल्लेखित है कि **''यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नही पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।''**

विभाग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार का सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं से पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन करवाये जाने पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं के पत्र क्रमांक 1191 दिनांक 27.03.2025 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि श्री सुनील कुमार के विरूद्ध मुकदमा नं. 400/दिनांक 01.08.2021 चार्जशीट नं. 341 दिनांक 18.12.2021 धारा 341, 323, 34 भादस, थाना कोतवाली झुन्झुनूं का कोर्ट में पैण्डिग विचाराधीन है।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 के उपबिन्दु संख्या (V) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों में अंतर्वलित अभ्यर्थी राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र है।

श्री सुनील कुमार के विरूद्ध दर्ज मुकदमें के अंतर्गत भादस धारा 341, 323 कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 के उपबिन्दु संख्या (V) के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16 एवं 17 में यथावर्णित अपराधों के अंतर्गत है।

अतः कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं विभागीय आदेश संख्या 239/2024–25 दिनांक 11.01.2025 के कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति की शर्तो के बिन्दु संख्या 02 के आधारों पर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नंद लाल (रोल नं. 736090) की विभागीय आदेश संख्या 239/2024–25 दिनांक 11.01.2025 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर जारी नियुक्ति एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :– एफ.4(ई)(एस–277)/2023/अलेसे–III/6529 दिनांक :– 22/08/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
5. संयुक्त विधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
6. कोषाधिकारी, झुन्झुनूं को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नंद लाल को आदेश की प्रति तामील करवाते हुये निदेशालय को अवगत करावें।
7. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) कोष एवं लेखा विभाग को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
9. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नंदलाल निवासी ग्राम सोती, पोस्ट बुडाना, तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं पिन कोड़–333023 (रजिस्टर्ड)।
10. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)